मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / /पीएस/औ.नी.नि.प्रो.वि/2020 भोपाल, दिनांक 11 /05/2020

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषयः– कोविड–19 महामारी में 4 मई, 2020 से लागू लॉकडाउन अंतर्गत Red, Orange तथा Green district में औद्योगिक गतिविधियों के तारतम्य में।

संदर्भ :– विभाग का पत्र/निर्देश क्र./33/पीएस/ औ.नी.नि.प्रो.वि/2020 दि. 03/05/2020.

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, लॉकडाउन अवधि में उद्योग के संचालन हेतु भारत सरकार की गाईड लाईन के दृष्टिगत संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किये गये है। विषयांतर्गत इकाईयों एवं उद्योग संघो से उद्योग संचालन के संदर्भ में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय हुई चर्चा के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी निर्देश के पालन हेतु निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :–

1. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक–2 में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं– " Red एवं Orange Zone जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में (Containment zone के बाहर) समस्त औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित रहेंगी। इनको शुरू किये जाने के लिये जिला कलेक्टर से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी "।

   उक्त से स्पष्ट है कि Red एवं Orange Zone के ग्रामीण क्षेत्रों में (Containment zone के बाहर) एवं Green Zone में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन करने हेतु कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

2. संदर्भित पत्र से जिन क्षेत्रों में **डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप** (DCMG) को श्रमिकों/कर्मचारियों आदि Manpower को आवागमन की अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गये है, के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि DCMG को उक्त क्षेत्रों में Manpower के आवागमन की अनुमति हेतु ही अधिकृत किया गया है। DCMG को उद्योग इकाई में Manpower की संख्या/प्रतिशत का निर्धारण अथवा इकाई की उत्पाद क्षमता के प्रतिशत निर्धारण हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

3. संदर्भित पत्र के कण्डिका–8 में श्रमिकों/कर्मचारियों को भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार जिन क्षेत्रों में फोर व्हिलर/टू व्हिलर से आवागमन हेतु अनुमति दी जा रहीं है, उनके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि Red एवं Orange Zone की जिन औद्योगिक इकाईयों को उद्योग संचालन हेतु अधिकृत किया गया है, उन औद्योगिक इकाईयों के श्रमिक/कर्मचारी, फर्म/ कम्पनी द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर आवागमन कर सकेंगे तथा इस हेतु अनुमत्य उद्योगों के परिचय पत्र (Identity Card) धारी श्रमिकों/कर्मचारियों को पृथक से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

11/5/2020
(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर....2

पृ.क्रमांक/ /पीएस/ओ.नी.नि.प्रो.वि/2020 भोपाल, दिनांक 11 /05/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
5. आयुक्त, जनसंपर्क।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश विध्यांचल भवन भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय भोपाल।
9. नगर निगम आयुक्त, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. मुख्य कार्यवालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग